भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 261
मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण

261. श्री बृजमोहन अग्रवालः
श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों की कार्य-प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए उनके कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी राशि आवंटित की गई है।उपयोग की गई है;

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है;

(घ) क्या कम्प्यूटरीकरण का समितियों के कामकाज पर कोई प्रभाव पड़ा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास और डिजिटल साक्षरता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या प्राथमिक सहकारी समितियों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए कोई लक्ष्य/समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या नई उद्यम संसाधन योजना प्रणाली को अपनाने और सुव्यवस्थित करने में प्राथमिक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ, मान्यवर । भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों

(DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर परियोजना के अंतर्गत देश भर के सभी पैक्स को प्रदान किया जाता है, ताकि पैक्स की सभी कार्यशीलताओं, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, से संबंधित डेटा एकत्र किया जा सके । इस सॉफ्टवेयर को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है ।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक 'क'** में दिया गया है: -

(ग): छत्तीसगढ़ राज्य में पैक्स की कुल संख्या 2028 है और सभी 2028 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया गया है ।

(घ) और (ड.): ईआरपी आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) के माध्यम से पैक्स परिचालन की दक्षता को बढ़ाता है । इसके अतिरिक्त, यह शासन और पारदर्शिता को सशक्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण वितरण में तेज़ी आती है, लेन-देन की लागत कम होती है, भुगतान असंतुलन न्यूनतम होता है, और DCCBs और StCBs के साथ लेखांकन सुचारू रूप से चलता है । इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता यह सुनिश्चित करती है कि लघु और सीमांत किसान, जिनमें वे भी शामिल हैं जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभान्वित हों ।

एक व्यापक ईआरपी समाधान कई कार्यशीलताओं को एकीकृत करता है, जिसमें सदस्यता प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं जैसे जमा और ऋण (अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक), प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), व्यवसाय नियोजन, भंडारण, व्यापारिक वस्तुएं, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, इसमें PACS सदस्यों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए RuPay और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)/डेटाबेस एकीकरण को शामिल करने का प्रावधान है ।

सहकारिता मंत्रालय (MoC) ने इस पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । प्रगति का आकलन करने के लिए, विशेष रूप से पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नाबार्ड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे प्रमुख हितधारकों को शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, एक संरचित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC), राज्य और जिला स्तर की कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (SLIMC और DLIMC), राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) (मुख्य सचिव के अधीन) और जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) (जिला कलेक्टर के अधीन) शामिल हैं । ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सभी सहकारी क्षेत्र की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन, निरीक्षण और समन्वय को सुनिश्चित करते हैं ।

इसके अलावा, नीति आयोग ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का प्रभाव मूल्यांकन किया है, जिसमें सहकारिता मंत्रालय के तहत "पैक्स का कंप्यूटरीकरण " और "आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त करना" शामिल है । जी हाँ, कंप्यूटरीकरण का समिति के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है । इसके प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

* ऋण का शीघ्र वितरण ।

* लेन-देन लागत में कमी ।

* DCCBs और StCBs के साथ भुगतान असंतुलन में कमी और निर्बाध लेखांकन ।

* किसानों के बीच PACS के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ी ।

(च): जी हाँ, सरकार ने देश भर में लगभग 63,000 कार्यशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है । परियोजना की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2027 है । कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और प्रत्येक पैक्स को एक कॉमन ERP प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है ।

(छ) और (ज): जी हाँ, नए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ़्टवेयर को अपनाने और प्रबंधित करने में पैक्स की सहायता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- एक एकीकृत ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसे राष्ट्रीय स्तर के पैक्स सॉफ्टवेयर विक्रेता (NLPSV) द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है ।
- सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) और उनके सहायता केंद्र की एक तकनीकी टीम दैनिक कार्यकलापों में सहायता करने और जमीनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध है ।
- ईआरपी उपयोग, डेटा प्रविष्टि और लेखांकन, क्रेडिट, प्रापण और वितरण जैसे परिचालन मॉड्यूल पर पीएसीएस कर्मियों को प्रशिक्षण ।
- अपनाने में सुगमता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में नियमित वेबिनार, हेल्पलाइन और उपयोगकर्ता मैनुअल ।

पीएसीएस प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग का विवरण **संलग्नक 'ख'** में दिया गया है ।

****

संलग्नक 'क'

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 में जारी राशि	वर्ष 2022-23 में किया गया कुल व्यय	वित्त वर्ष 2023-24 में जारी राशि	वर्ष 2023-24 में किया गया कुल व्यय	वित्त वर्ष 2024-25 में जारी राशि	वर्ष 2024-25 में किया गया कुल व्यय
1	महाराष्ट्र	87.95	-	33.65	71.88	-	39.38
2	राजस्थान	23.78	-	43.30	44.05	11.00	25.60
3	गुजरात	-	-	58.30	7.39	22.19	58.48
4	उत्तर प्रदेश	11.28	-	42.30	24.10	-	15.13
5	कर्नाटक	40.25	-	15.39	36.67	-	2.69
6	मध्य प्रदेश	33.23	-	25.42	43.47	-	8.88
7	तमिलनाडु	33.20	-	12.48	25.78	-	17.34
8	बिहार	32.95	-	-	4.48	14.66	32.43
9	पश्चिम बंगाल	30.54	-	-	6.45	-	6.35
10	पंजाब	25.52	-	-	10.20	-	10.80
11	आंध्र प्रदेश	14.93	-	3.74	-	14.54	28.15
12	छत्तीसगढ़	14.86	-	-	4.51	10.21	18.28
13	हिमाचल प्रदेश	9.56	-	7.32	13.13	3.09	3.74
14	झारखंड	10.99	-	-	5.45	15.10	12.82
15	हरियाणा	4.85	-	2.44	-	-	7.09
16	उत्तराखंड	-	-	3.69	-	-	0.29
17	असम	6.41	-	2.45	6.41	6.39	5.71
18	जम्मू और कश्मीर	5.25	-	1.52	5.25	1.85	2.21
19	त्रिपुरा	2.95	-	1.13	3.55	3.03	2.55
20	मणिपुर	2.55	-	-	-	-	2.09
21	नागालैंड	0.36	-	2.46	0.64	1.60	3.77
22	मेघालय	1.23	-	-	1.03	-	0.23
23	सिक्किम	1.18	-	0.90	1.59	0.79	0.45
24	गोवा	0.32	-	0.13	0.30	0.44	0.21
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.69	-	-	0.62
26	पुडुचेरी	0.44	-	0.17	0.41	-	0.07
27	मिजोरम	0.27	-	-	0.21	0.44	0.34
28	अरुणाचल प्रदेश	0.15	-	0.12	0.21	0.09	0.08
29	लद्दाख	-	-	0.12	-	-	0.02
30	दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव	-	-	-	-	0.12	0.06
कुल		**395.00**	**-**	**257.71**	**317.14**	**105.54**	**305.89**

संलग्नक "ख"

PACS प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग विवरण				
क्रम सं.	**राज्य**	**कुल स्वीकृत PACS का योग**	**PACS को प्रशिक्षण**	**PACS को हैंडहोल्डिंग**
1	अंडमान और निकोबार	46	46	46
2	आंध्र प्रदेश	2037	592	1469
3	अरुणाचल प्रदेश	14	11	11
4	असम	583	539	572
5	बिहार	4495	1698	1336
6	छत्तीसगढ़	2028	2028	2025
7	दमन और दीव	4	0	4
8	गोवा	58	41	14
9	गुजरात	5754	5618	1440
10	हरियाणा	710	600	585
11	हिमाचल प्रदेश	1789	831	617
12	जम्मू और कश्मीर	537	533	465
13	झारखंड	2797	1368	168
14	कर्नाटक	5682	3702	24
15	लद्दाख	10	7	0
16	मध्य प्रदेश	5188	3900	4488
17	महाराष्ट्र	12000	6858	8520
18	मणिपुर	232	169	0
19	मेघालय	112	99	46
20	मिजोरम	49	25	23
21	नागालैंड	231	30	9
22	ओडिशा	2711	0	0
23	पूड्डुचेरी	45	43	33
24	पंजाब	3482	948	861
25	राजस्थान	7468	5583	1847
26	सिक्किम	107	104	29
27	तमिलनाडु	4532	4531	3001
28	त्रिपुरा	268	207	159
29	उत्तर प्रदेश	5686	1098	0
30	उत्तराखंड	670	0	0
31	पश्चिम बंगाल	4167	3113	44
महायोग		**73492**	**44322**	**27836**

* ओडिशा हाल ही में इस परियोजना में शामिल हुआ है